

पत्रावली का प्रयोग केवल प्रशासनिक कामों के लिए ही करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए।  
 15/9/17

15/9/17 पत्रावली में त्रुटि। कारणों के कारण कार्यालय नहीं जा सकी। पत्रावली में त्रुटि को पेश हो।  
 15/9/17

17/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उपस्थित। वकील प्राची को शेष को शामिल हेतु निर्दिष्ट दिनांक पर दिनांक 27/12/17 को पेश हो।  
 उप सचिव अधिकारी  
 बस्ती जिला जयपुर

20/12/17 पत्रावली पेश हुई। प्राची व वकील प्राची अकु उपस्थित। अप्राची व वकील अप्राची अकु उपस्थित। प्रकरण के लिखित मसल रूप से शामिल हो चुकी है। वास्तव में इसके उम्रभर अकु उपस्थित है। मुलावाक शैल लिखित के साथ स्वार्थिण लिखा जा चुका है कि महीने के वक्ती चार पटवारिमान कुल 2 पटवारिमान की संयुक्त टीम से उम्रभर की गीपुयगी के बाद गंगा मन्दि की सीमा रेखा कायम करे।  
 अतः इस प्राथिना पत्र को मुलावाक के स्वार्थिण हो जाने से प्रकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।  
 अतः पत्रावली केवल श्रुति होकर यथेष्ट लम्बर से बचे।  
 निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप सचिव अधिकारी  
 बस्ती जिला जयपुर

पत्रावली पेश

पत्रावली पेश

17/11/17

कारण कार्यालय